Indian J. Soc. & Pol. 13 (01):109-114: 2026
31 January 2026
ISSN: 2348-0084 (PRINT)
ISSN: 2455-2127(ONLINE)

राजा राममोहन रॉय एवं महिला सशक्तिकरण : समसामयिक भारतीय संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संगीता विजय[1], अमित कुमार पाण्डेय[2]

[1]आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत
[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान,भारत

ABSTRACT

वस्तुतः मानव समाज, राष्ट्र एवं विश्व की केन्द्र बिन्दु महिला होती है। महिला सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती है। भारतीय संस्कृति एवं समाज में भी मातृशक्ति एवं अर्द्धनारीश्वर की संकल्पना आदि स्वरूपों में महिला–पुरुष समानता प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही है। किन्तु पितृसतात्मक एवं परंपरावादी सामाजिक व्यवस्था में यह धारणा धुमिल हो गई। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय द्वारा महिलाओं को सशक्त करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् संवैधानिक एवं वैधानिक स्तर पर महिला–पुरूष समानता की व्यवस्था की गई। साथ ही 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही 106वें संविधान संशोधन, 2023 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस शोधपत्र में रॉय द्वारा किए गए प्रयासों तथा समकालीन भारतीय संदर्भ में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का द्वितीयक स्रोतों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

KEYWORDS: *सशक्तिकरण, पुनर्जागरण, सामाजिक–सशक्तिकरण, राजनीतिक–सशक्तिकरण आर्थिक–सशक्तिकरण*

महिला एवं पुरुष दोनों ही समाज के आधार स्तंभ है। अतः दोनों की समान सहभागिता आवश्यक एवं अपरिहार्य है। किंतु, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था तथा अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण महिलाओं की स्थिति समाज में दोयम दर्जे की रही है। अतः सदियों से पिछड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और पुरुषों के समक्ष लाने के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सशक्तिकरण शब्द सशक्त से निकला है, जिसका अर्थ है – शक्ति या सत्ता प्रदान करना अथवा अधिकार प्रदान करना। व्यावहारिक दृष्टि से सशक्तिकरण का अर्थ विद्यमान असमानता और अधिकार विहीन वर्ग को शक्ति के स्रोतों पर नियंत्रण प्रदान करना है। अतः महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है – महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में जैसे – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि सभी में अधिकार प्रदान करना जिससे वह अपने को वास्तव में सशक्त या मजबूत कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण को "महिलाओं को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, शिक्षा के अवसरों तक पहुंच और समाज में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रक्रिया महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर, भेदभाव समाप्त कर, और लैंगिक समानता सुनिश्चित करके पूरी होती है।'' इस दिशा में आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन रॉय द्वारा अथक प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत में संविधान के प्रावधानों सरकारी प्रयासों तथा विविध महिला संगठनों संस्थाओं के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया गया। इसी संदर्भ में प्रस्तुत पत्र में रॉय के महिला सशक्तिकरण पर किए गए प्रयासों का समकालीन भारतीय परिपेक्ष में महिला सशक्तिकरण की स्थिति के संदर्भ में अध्ययन किया गया है।

21वीं सदी महिलाओं की सदी है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार, भूमिका तथा भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज महिलाओं को सशक्त बनने का उद्देश्य समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता दिलाना, सुरक्षा और अधिकार की सुनिश्चितता, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। जिससे महिलाएँ पिछड़ेपन के गर्त से निकलकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। किन्तु भारत में 20वीं सदी के आरंभ में ही आधुनिक पुर्जागरण के जनक राजा राममोहन रॉय (1872 –1933) ने महिला सशक्तिकरण का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त पारंपरिक कुप्रथाओं का विरोध किया तथा महिलाओं को सशक्त करने में अपना अमूल्य योगदान

1: Corresponding Author

दिया। रॉय ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा, पुरुषों के सामान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की वकालत की। इसलिए रॉय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। रॉय द्वारा भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में किए गए विचार एवं कार्य इस प्रकार है –

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

राजा राममोहन रॉय मानवतावादी थे। वह भारत में सामाजिक न्याय तथा महिला समानता एवं सशक्तिकरण की अलख जगाने वाले प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में सामाजिक असमानता तथा लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया ,अपितु उनके लिए प्रयास भी किए गए। रॉय द्वारा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए जो इस प्रकार है –

- **महिला शिक्षा का समर्थन** – रॉय ने माना कि महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण शिक्षा की कमी है। रॉय के समय में लड़कियों के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध था। उनको घरेलू कार्य ही करने होते थे, इसलिए उन्हें शिक्षा देना व्यर्थ माना जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही महिला अन्याय और दयनीय स्थिति से बाहर आ सकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। रॉय ने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाने में मदद की। उन्होंने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ जैसे शिक्षाविदों के साथ मिलकर महिला शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। रॉय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को मान्यता प्रदान की और धार्मिक अंधविश्वासों से युक्त शिक्षा का विरोध किया।(चक्रवर्ती, 1999) उनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक भागीदारी में पुरूषों के समान अधिकार दिलाना था।
- **महिला स्वतंत्रता** – राजा राममोहन रॉय समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण एवं गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित रखने के प्रबल समर्थक थे। अतः उन्होंने महिला स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया।
- **सती प्रथा उन्मूलन** – सती प्रथा एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी जिसमे पुरुष पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को बलपूर्वक चिता मे बिठा कर जला दिया जाता था। इसे वैधानिक ठहराने के लिए धार्मिक मान्यताओं एवं पतिव्रता धर्म की बातों का सहारा लिया जाता था। 1811 में जब रॉय की भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जिंदा जलाया गया, तब उनका मन विरक्त हो गया। रॉय ने बताया कि हिंदू धर्म में भी विधवाओं के लिए अपने पति की चिता पर खुद को जिंदा जलाने की आज्ञा नहीं देता। उन्होंने पाया कि सती प्रथा का केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुण्डकोपनिषद और अन्य उपनिषदों एवं वेदांत, पुराण, स्मृति, गीता में भी स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। रॉय ने मनु, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि तथा दार्शनिक का हवाला देते हुए कहते हैं कि विधवा को स्वेच्छा से शुद्ध फल, फूल और सात्विक भोजन पर रहना चाहिए, किसी अन्य पुरुष का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यह तर्क देने के लिए कि विधवा को स्वयं जीवित रहने और सती नहीं होने की व्यवस्था थी रॉय ने याज्ञवल्क्य का कथन का हवाला दिया और कहा कि विधवा को पिता, पुत्र, भाई, ससुर आदि की देखरेख में रहना चाहिए। सती प्रथा को आत्महत्या और महिला हत्या के रूप में माना जाना चाहिए। इसको दूर करने के लिए रॉय ने विधवा पुनर्विवाह महिलाओं के लिए संपत्ति और शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया। रॉय के प्रयासों से बंगाल में लॉर्ड विलियम बैन्टिक 4 दिसम्बर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लागू किया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया।
- **बाल विवाह का विरोध** – रॉय बाल विवाह के विरुद्ध थे, क्योंकि यह अप्राकृतिक था। उन्होंने इसे जघन्य सामाजिक बुराई माना और बाल विवाह का विरोध किया। रॉय ने देखा कि समाज में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र मे कर दिया जाता है। जिससे उनका स्वस्थ ख़राब होता है और शिक्षा बाधित होती है, तथा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती। इसलिए रॉय ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार किया और धार्मिक पुनर्व्याख्या की।
- **बहुविवाह/बहुपत्नी प्रथा का विरोध** – राजा राममोहन रॉय ने बहुविवाह का कड़ा विरोध किया और एक–विवाह को प्राथमिकता दी। बहुपत्नी प्रथा के अंतर्गत धनी पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर लेते थे और उनको सामान अधिकार नहीं देते थे। रॉय ने इस प्रथा को समाज के मंच से विरोध किया और इसे समाज मे अनैतिक असमान और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने याज्ञवल्क्य का हवाला दिया, जिन्होंने केवल विशिष्ट आधारों पर जैसे असाध्य बीमारी, बांझपन, केवल कन्या संतान आदि होने पर ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति दी थी। यह तर्क दिया की बहु विवाह को प्राचीन विधि–विधान निर्माता एक सामान्य प्रथा के रूप में स्वीकार नहीं करते।
- **बेमेल विवाह/पुत्री बेचने की प्रथा का विरोध** – रॉय ने एक लडकी का अपनी उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह को अनुचित बताया। साथ ही आर्थिक स्वार्थ के कारण पिता द्वारा अपनी पुत्री को उसके भावी पति को बेचने की प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उदाहरणों से बताया कि यह प्रथा पवित्र नियमों के विरुद्ध है।
- **विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन** – रॉय ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें सती के रूप में मानवीय हत्या या आत्महत्या से बचाया जा सकें। रॉय ने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया।
- **कन्या भ्रूण हत्या का विरोध** – यह एक सामाजिक बुराई थी। जिसे वे ने केवल अपराध मानते थे, बल्कि पाप मानते थे। उसे समय कन्या भ्रूण हत्या के साथ देवदासी प्रथा भी थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। जिससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता था। रॉय का मानना था कि इस प्रथा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को हत्या का

दोषी माना जाना चाहिए और उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

- **वेश्यावृत्ति का विरोध–** सभी सामाजिक बुराइयों में जघन्य है। इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और कानून द्वारा नियंत्रित करने पर बल दिया।
- **सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का विरोध** – रॉय अन्याय और शोषण, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध थे। अपराधों से मुक्ति पर बल दिया, अज्ञानता अंधविश्वास सामाजिक असमानता के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार से अन्याय की समाप्ति और एकता की भावना को विकसित किया। रॉय ने यह सिद्धांत दिया कि लोगों को उन्हीं प्रथाओं का पालन करना चाहिए जो उचित हो और सामान्य कल्याण में योग देती हो।
- **आधुनिकीकरण का समर्थन** – भारतीय समाज का पुनर्गठन आधुनिक आधारों पर करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की समानता एवं आधुनिक शिक्षा द्वारा सामाजिक सुधार पर बल दिया।

इस प्रकार रॉय वैचारिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न द्वारा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दिया तथा कानूनी प्रावधान एवं शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त करने पर बल दिया।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

रॉय के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के संदर्भ में विचार इस प्रकार है –

व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार – एक सच्चे उदारवादी के रूप में रॉय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संपत्ति के अधिकार की पवित्रता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसे संपत्ति पर स्वामित्व रखने का अधिकार होना चाहिए, जो उसे विरासत में मिली है या उसने अर्जित की है।

संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार – रॉय हिंदू उत्तराधिकार के अधिकार के प्रबल समर्थक थे। 1822 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार, ''*महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण*'' शीर्षक निबंध में उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का दावा किया। इसमें रॉय ने लिखा की प्राचीन विधि निर्माता ने अपने मृत पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में माँ को अपने बेटे के बराबर हिस्सा दिया गया था। ताकि, वह अपने बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकें। इसी तरह याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति जैसे प्राचीन न्यायविदों के विचारों को उदित किया कि सभी ने संपत्ति का एक हिस्सा लगभग एक चौथाई बेटी को दिया। राजा राममोहन रॉय ने अफसोस जताया कि प्राचीन विधि निर्माता के इन आदेशों का आज उल्लंघन किया जा रहा है।

इस प्रकार रॉय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सक्रिय और सार्थक प्रयत्न द्वारा योगदान दिया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रचीन काल में प्राप्त थे वे वर्तमान में भी मिलने चाहिए।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

रॉय उदारवादी और मानवतावादी सार्वभौमिकतावादी थे। वे महिलाओं के प्रति उदार, घर्मनिरपेक्ष, मानववादी दृष्टिकोण रखते थे। उनके महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के संदर्भ में विचार इस प्रकार है –

- **महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आग्रह** – राज्य का दायित्व होना चाहिए अपने समस्त नागरिकों महिला सहित स्वतंत्रता एवं अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करें।
- **समानता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार** – जब राजा राममोहन रॉय (1931–1933) इंग्लैंड में थे, तब वहाँ मताधिकार विस्तार के लिए रिफॉर्म बिल पर विचार चल रहा था, जिसे रॉय ने अपना समर्थन दिया। रॉय ने यहाँ तक कह दिया था यदि रिफॉर्म बिल पास नहीं हो पाया तो हम इंग्लैंड से अपना संबंध तोड़ लेंगे। जैसे ही बिल पास हुआ रॉय में कहा–''यह बिल समूचे संसार के लिए मुक्ति का संकेतक है''।(ग्रोवर, 1992)
- **विकास के समान अवसर** – उनका मानना था देश में प्रगति तभी संभव है, जब महिलाओं को स्वतंत्रता, न्याय, समानता और शिक्षा का अधिकार मिले।

इस प्रकार राजा राममोहन रॉय के महिला–सशक्तिकरण के प्रयास रहें। रॉय बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे दूरदर्शिता से युक्त असाधारण व्यक्ति थे। रॉय को भारत में आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। रॉय वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जिन्होंने सामाजिक सुधारो में शिक्षा एवं कानून पर बल दिया, यद्यपि महिलाओं के लिए घर की रख–रखाव बच्चों की देखभाल कार्यों पर बल दिया। किंतु साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता, शिक्षा एवं संपत्ति तथा राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों के भी पक्षधर रहें। वे अन्याय, शोषण, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध थे। अपराधों से मुक्ति, अधिकार, स्वतंत्रता पर बल दिया। समानता व स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। महिला उत्थान के समर्थक रॉय पुरुष प्रधान समाज में महिला मुक्ति के लिए अथक प्रयास किया।

राजा राममोहन रॉय के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए आगाज को स्वाधीन भारत में निरंतरता दी गई। समसामयिक संदर्भ में भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को हम सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार पर देख सकते है। जो इस प्रकार है –

सैद्धांतिक स्तर पर भारत मे महिला सशक्तिकरण की स्थिति :

सैद्धांतिक आधार में भारतीय संविधान एवं ससद के विभिन्न अधिनियमों एवं भारतीय दंड संहिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किया गया तथा भारत सरकार द्वारा विविध नीतियों कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में प्रस्तावना से लेकर सभी प्रावधानों में महिला एवं पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी महिला एवं पुरुष को विधि के समक्ष समान समझा जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी महिला एवं पुरुष के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगा। इस अनुच्छेद में अपवाद यह है, राज्य किसी भी बच्चे एवं महिलाओं के संबध में विशेष उपबंध लागू कर सकता है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन सभी नागरिकों को लोक नियोजन के लिए सामन अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी नागरिक से केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध होगा। अनुच्छेद 21 के द्वारा किसी भी व्यक्ति महिला एवं पुरुष को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा नियोजित प्रकिया से ही वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई प्रयास क्रियाशील नहीं होंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय इस अनुच्छेद का विस्तार करके हुए अन्य अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है, जैसे – प्रतिष्ठापूर्वक जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार एवं अन्य अधिकार भी शामिल है। ये उपबंध पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं पर समान रूप से लागू होते है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 226 के द्वारा यदि महिला एवं पुरुष के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते है, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करवा सकता है। अनुच्छेद 39 का उपबंध राज्य को निर्देश देता है कि महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कार्य स्थल पर कार्य के लिए के लिए मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाना एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता देना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 45 सभी बच्चियों एवं बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के लिए राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 51 में व्यवस्था है कि नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखे और उनके अधिकारों की रक्षा करें।

- **वैधानिक प्रावधान** – अनेक वैधानिक प्रावधान जैसे– अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1984, सती निवारण अधिनियम 1934, हिन्दू विवाह अधिनियम 1954, कार्यस्थल यौन शोषण अधिनियम आदि किए गए। 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन इस संशोधन के द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। तथा यह निर्धारित किया गया कि अब महिलाएँ भी शासन कार्यों में सहभागिता लेंगी एवं नीति, नियम और निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगी। 26 अक्टूबर 2006 से महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। 106वाँ संविधान संशोधन के द्वारा नारी शक्तिवंदन अधिनियम 2023 में लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह अधिनियम नई जनगणना एवं परिसीमन होने बाद लागू होगा।

- **भारतीय दंड संहिता** – भारतीय दंड संहिता मे धारा 354 महिलाओं की गरिमा तथा धारा 509 महिलाओं के लिए अपमान जनक शब्द एवं धारा 376 बलात्कार से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है।

सरकारी योजनाएँ, कार्यक्रम एवं नीतियाँ – शासन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा महिला सशक्तिकरण नीति (2000) द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाये गए है। अंतरराष्ट्रीय संविदों, सम्मेलन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सहायक कदम रहें है।

व्यावहारिक स्तर पर भारत मे महिला सशक्तिकरण की स्थिति

व्यावहारिक आधार में भारत में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति संबंधी तथ्यों के संदर्भ में देख सकते है। जो इस प्रकार है–

- **महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण** – भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, अपराध एवं हिंसा की स्थिति का आकलन कर समझ सकते है। अतः प्रस्तुत पत्र में भारत में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु इस दिशा में तथ्य एकत्रित गए है, जो इस प्रकार है –

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति (2024)

विषय	महिला (प्रतिशत)	पुरुष (प्रतिशत)
साक्षरता दर	65.71	82.37
नामांकन दर		
प्राथमिक कक्षा (1–5)	99.0	99.5
माध्यमिक कक्षा (9–10)	79.5	83.6
उच्च माध्यमिक कक्षा (11–12)	57.4	60.2
उच्च शिक्षा	31.3	32.8

स्रोतः रजिस्टार जनरल ऑफ़ इंडिया. (2021). सेन्सस ऑफ़ इंडिया

स्पष्ट है कि वर्ष 2024 मे महिला साक्षरता दर 74.6 प्रतिशत एवं पुरुषों मे साक्षरता दर 87.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर 71.5 प्रतिशत एवं पुरुषों की 83.3 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में महिला नामांकन 2.07 करोड़ (48 प्रतिशत) एवं पुरुष नामांकन 2.26 करोड़ अर्थात (52 प्रतिशत) है।

भारत का मानव विकास सूचकांक (2024)

विषय	महिला	पुरुष
मानव विकास सूचकांक	0.582	0.684
औसत शैक्षिक अवधि	6.57	7.79
अपेक्षित शैक्षिक अवधि	12.6	13.5

भारत में महिलाओं का मानव विकास सूचकांक (0.58) पुरुषों (0. 68) की तुलना मे कम है, अर्थात महिलाओं का विकास पुरुषों की

तुलना मे कम हुआ है या मध्यम स्तर पर है। महिलाओं की औसत शैक्षणिक अवधि 6.57 साल, पुरुषों की शैक्षणिक अवधि 7.79 साल से कम है, अर्थात महिलाओं ने पुरुषों की तुलना मे कम वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया है। अपेक्षित शैक्षणिक अवधि महिलाओं का 12.6 साल पुरुषों के अपेक्षित शैक्षणिक अवधि 13.5 साल से कम है, अर्थात भविष्य मे महिलाएँ पुरुषों की तुलना मे कम पढाई करेंगी।

भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

विषय	महिला	पुरुष
जीवन प्रत्याशा	69.9 वर्ष	67.4 वर्ष
शिशु मृत्यु दर	30 कन्या शिशु	27 पुत्र शिशु
एनीमिया की दर	57 प्रतिशत	25 प्रतिशत

भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा (69.9) पुरुषों (67.4) की तुलना मे अधिक है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2017–2019 में प्रति 100,000 जीवंत शिशुओं मे 103 थी, जो वर्ष 2019–2021 में 97 हो गई है। महिलाओं में एनिमिया की दर (57प्रतिशत) पुरुषों (25प्रतिशत) की तुलना मे बहुत अधिक है। जिससे महिलाओं की कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति प्रकट होती है।

महिलाओं पर हिंसा एवं अपराध (2022)

विषय	क्राइम रिकॉर्ड्स संख्या में
महिलाओं पर हिंसा	4,45,256
बलात्कार	31,517
घरेलू हिंसा	1,04,165
अपहरण	47,235
दहेज सम्बन्धी मौतें	6,933

नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो एक्शन ऐड एसोसिएशन की रिपोर्ट ''सेफ स्पेसेस एट वर्क : रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ़ वीमेन इन वर्कप्लेसेस इन इंडिया'' के अनुसार 27 प्रतिशत महिलाएँ अपने कार्यस्थल पर एक या अधिक बार शारीरिक शोषण या हिंसा का सामना किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 – 2024 के दौरान विवाह या दहेज, हिंसा या शोषण, साइबर क्राइम की लगभग 30,000 शिकायतें दर्ज की गई है।

श्रम बल मे महिला–पुरुष भागीदारी दर (2022–23)

महिला (प्रतिशत)	**पुरुष** (प्रतिशत)	**अंतर** (प्रतिशत)
37	76	39

- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण** – महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण वह प्रकिया है, जिसके द्वारा वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर आय अर्जित करने की क्षमता का निर्माण एवं निर्णय लेने स्वतंत्रता प्राप्त करती है। वर्तमान भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थित के आंकड़ें निम्न प्रकार है –

महिलाओं का औसत मासिक वेतन (2023)

क्षेत्र	पुरुष (रुपये)	महिला (रुपये)	अंतर (प्रतिशत)
शहरी क्षेत्र	19779.00	15601.00	21.1
ग्रामीण क्षेत्र	15944.00	10346.00	35.1

स्रोतः इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन (2023), इंडिया वेज रिपोर्ट : पॉलिसीस फ़ॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. https://www.ilo.org/

भारत मे महिला स्वामित्व वाले उद्यम (2022–23)

श्रेणी	**कुल उद्यम**	**महिला स्वामित्व** (प्रतिशत)
भारत	63 मिलियन	20.4

भारत में भूमि/संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व लगभग 13 प्रतिशत एवं एवं पुरुषों का स्वामित्व लगभग 87 प्रतिशत है। वर्ष 2022 – 23 में मनरेगा में कार्य करनी वाली महिलाओं की भागीदारी 57 प्रतिशत एवं पुरुषों की भागीदारी 43 प्रतिशत है। भारत में कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में 11.1 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि पुरुष 88.9 प्रतिशत है। गैर-कार्यकारी बोर्ड अध्यक्षों में महिला हिस्सेदारी 5.7 प्रतिशत है, पुरुष 94.3 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में श्रमबल में 37 प्रतिशत महिलाओं की एवं 73 प्रतिशत पुरुषों की भागीदारी थी।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं की राजनीतिक कार्य मे पुरुषों के सामान भागीदारी, एवं चुनाव लड़ने की स्वंत्रता, नीतिगत निर्णय मे भूमिका का निर्धारण करना है। आज महिलाएँ राजनितिक सशक्तिकरण के माध्यम से संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन एवं नगरीय निकाय की संस्थाओ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहीं है। वर्तमान भारत मे महिलाओं की राजनीतिक स्थित इस प्रकार है –

लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व (2004 से 2024)

लोकसभा गठन (वर्ष)	महिलाएँ	पुरुष	कुल सीटें	महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
2004	45	498	543	8.3
2009	59	484	543	10.9
2014	61	482	543	11.2
2019	78	465	543	14.4
2024	74	469	543	13.6

लोकसभा में 2004 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8.3 प्रतिशत रहा जो 2019 में बढकर 14.4 तथा 2024 में 13.6 हो गया। किन्तु पुरुषों की तुलना मे भी कम है। उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

राज्यसभा में महिला प्रतिनिधित्व (2010 से 2024)

वर्ष	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य	कुल सीटें	महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
2010	27	218	245	11.0
2014	31	214	245	12.8
2016	27	218	245	11.0
2019	26	219	245	10.6
2021	29	216	245	12.2
2024	39	206	245	15.9

राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में क्रमिक बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन यह पुरुषों की तुलना मे बहुत कम है। जहाँ 2010 में

महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.0 था वह 2024 में बढकर 15.9 हो गया। किन्तु अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम है।

स्थानीय शासन संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (2024)

क्षेत्र	कुल निर्वाचित प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
ग्राम पंचायतं	लगभग 31 लाख	लगभग 14.4 लाख	46.6
ब्लॉक पंचायत / पंचायत समिति	लगभग 2.3 लाख	लगभग 1.1 लाख	48
जिला परिषदें	लगभग 90,000	लगभग 42,000	46.6
नगरनिकाय(नगरपालिका / नगर निगम)	लगभग 1.5 लाख	लगभग 65,000	43.3

स्रेतः: पंचायती राज मंत्रालय. (2023–24)

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों में अध्यक्ष तथा सदस्य सभी पदों के लिए महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के उपरांत महिलाओं की इन संस्थानों में भागीदारी बढ़ गई है। धीरे–धीरे आधे से अधिक राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, किन्तु पूरे देश में अभी तक यह समान रूप से लागू नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभी भी जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं की सभी क्षेत्रों में भागीदारी कम है।

निष्कर्ष

स्पष्ट होता है कि, राजा राममोहन रॉय के प्रयासों द्वारा महिला सशक्तिकरण का जो बिगुल बजाया गया था, उसका ही परिणाम रहा कि भारत के संवैधानिक, वैधानिक, संस्थागत प्रयासों से महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। आज विभिन्न राजनीतिक और गैर–राजनीतिक संगठनों द्वारा महिलाओं को जागृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। विभिन्न दबाव समूहों के माध्यम से उनमें राजनीतिक चेतना का प्रचार किया जा रहा है।ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ष (2023) में भारत की जेंडर गैप रैंकिंग 146 देशों में 127वें स्थान पर है, वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की रैंक 65वें स्थान पर है। अर्थात, महिलाओं का संसद मे प्रतिनिधित्व थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम है।जिससे रॉय के द्वारा बताए गए मार्ग – शिक्षा, कानूनी व्यवस्थाएँ, समाज में मानसिक परिवर्तन, विविध संस्थाओं एवं संगठनों के प्रयासों द्वारा अभिर्भाव किया जा सकता है।

REFERENCES

यूनाइटेड नेशन. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जेंडर इक्वलिटी एंड विमेंस एम्पोवेमेंट.* https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality.

वर्ल्ड बैंक. (2023). *जेंडर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट.* https://www.worldbank.org.

चक्रवर्ती, डी. (1999). प्रोविन्सिअलिज़्ग यूरोप : पोस्टकोलोनिअल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 203.

ठाकुर, एम्. (1987). *राजा राममोहन रॉय : हिज सोशल पोलिटिकल एंड इकोनोमिकल आइडियाज,* दीप – दीप पब्लिकेशन, पृ. 70.

ग्रोवर, वीरेंद्र. (1992). *राजा राममोहन रॉय.* दीप एंड दीप पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक 111 – 112.

बोवुआर, सिमोन द. (1949). *द सेकंड सेक्स.* विंटेज बुकस, पृष्ठ क्रमांक 267 – 269.

हुक्स, बेल. (2000). *फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी : पैशनेट पॉलिटिक्स.* साउथ एंड प्रेस, पृष्ठ क्रमांक 1 –3.

रजिस्टार जनरल ऑफ़ इंडिया. (2021). सेन्सस ऑफ़ इंडिया 2021 – लिटरेसी रेट बाय जेंडर. https://censusindia.gov.in

मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन. (2024). एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस. https://www.education.gov.in/publications

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पापुलेशन साइंसेज (2021). नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (एन एफ एच एस , 2019 – 21). http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. (2024). पीरियाडिक लेबर फोर्सेज सर्वे (2023 – 24). https://www.mospi.gov.in/publication/annual-report-plfs-2024

मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन. (2024). ऑल इंडिया सर्वे ऑफ़ हायर एजुकेशन ;2021 –22). https://aishe.gov.in

नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (एन एफ एच यस – 5, 2019 –21). (2021). इंटरनेशनल इइंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज. http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml

ऑफिस ऑफ़ द रजिस्ट्रार जनरल – सेन्सस कमिश्नर, इंडिया . (2024). सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024. https://censusindia.gov.in/

इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन (2023), इंडिया वेज रिपोर्ट : पॉलिसीस फ़ॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. https://www.ilo.org/-

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. (2023) पीरियाडिक लेबर फोर्सेज सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022–23. गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया. https://mospi.gov.in/.

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय. (2023–24). वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. नई दिल्ली, भारत सरकार. https://panchayat.gov.in